**भारत सरकार**

**पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं० 22**

**दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## ग्रामीण क्षेत्रों में जल संदूषण

**22. श्री राम कुमार कश्यपः**

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता बहुत ही खराब है और ग्रामीण जनता फ्लोराइड, लोहा, आर्सेनिक, खारापन, नाइट्रेट और भारी धातु से संदूषित पेयजल पीने को बाध्य है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेयजल स्रोतों की समस्या से निपटने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक व्यक्ति को दीर्घकालिक आधार पर पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल प्रदान करते हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)**

(क) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट डाटा के अनुसार, दिनांक 1/4/2017 की स्थिति के अनुसार, 74,728 ग्रामीण बसावटों के पेय जल स्रोत अत्यधिक आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, लवणता, नाइट्रेट और भारी-धातु से प्रभावित हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों में समर्थन देता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य उन्हें उपलब्ध कराई गई निधियों का 67 प्रतिशत तक जल गुणवत्ता के कवरेज और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए खर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, फोकस्ड दृष्टिकोण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 22 मार्च 2017 को आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन की शुरुआत की है ताकि आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इस उप मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत, केंद्र द्वारा आर्सेनिक प्रभावित आबादी और फ्लोराइड प्रभावित आबादी को फोकस्ड वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा जबकि मार्ग में आने वाली गैर-आर्सेनिक और गैर-फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की लागत को संबंधित राज्य सरकारें केंद्र अंशदान के समतुल्य राज्य अंशदान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वहन करेंगी।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों को सभी तीन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं जिनका वे चयन कर सकते हैं जैसे सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीम, स्वच्छ एवं स्थाई भू-जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीम और फ्लोराइड/आर्सेनिक प्रभावित बसावटों के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों का प्रावधान ताकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।